कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या–1716/XXV–21/2014 देहरादून : दिनांक ~~अक्टूबर,~~ 2014 3 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री हर्ष रतूड़ी,
130/77, कालीदास मार्ग,
देहरादून।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त आपके आवेदन पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2014 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1592 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 एवं आपके पत्र दिनांक 04 जून, 2014 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1707 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या 2129/25-14/2014 दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 की प्रतिलिपि संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उनके द्वारा आपकी शिकायत में उल्लिखित विभागों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है एवं प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान है।

कृपया तद्नुसार अवगत होना चाहें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0:–2129/25–14/2014 दिनांक: 30–10–2014

विषय:– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपने पत्र संख्या–1592 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या–1707 दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके साथ श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77, कालीदास मार्ग, देहरादून के पत्रों के सन्दर्भ में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्रों के कम में अवगत कराना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भरे गये नामांकन पत्र के सन्दर्भ में श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा की गई आपत्ति पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 04 जून, 2014 जो इस कार्यालय में दिनांक 09–06–2014 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा श्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

उक्त आपत्ति पत्र के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21–08–2014 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय से पत्र प्रेषित किये गये है कि अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रेषित पत्रों का विवरण निम्न है:–

1–अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, दे.दून को पत्र स0–2112 दि0 18–10–2014.
2–अधि.अभि.(दक्षिण),उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32 राजपुर रोड़, दे.दून को पत्र सं0–2113 दि0 18–10–2014
3–अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड(केन्द्रीय),उ.पा.का.लि.ईसी रोड़, दे.दून को पत्र सं0–2113 दि0 18–10–2014
4–कुलपति, गढ़वाल विश्व विद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल को पत्र सं0–2114 दिनांक 18–10–2014
5–जिलाधिकारी पौड़ी/देहरादून को इस कार्यालय के पत्र सं0–2119 दिनांक 18–10–2014

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित पत्रों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त कर अपीलकर्ता को एक माह के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त होने पर अपीलकर्ता श्री हर्ष रतूड़ी को सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

भवदीय,

30/10/2014

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।